

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० —

तारीख दायर

तारीख फैसला

24 / 2017 / प्रार्थना पत्र

01.03.2017

20.04.2017

उनवान

रतनलाल पिता रामकुंवार जाट निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थी

बनाम

- 1— धन्ना पिता हजारी कुम्हार निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
 - 2— रामदेव पिता छोटू कुम्हार निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
 - 3— रूपा बेवा काना कुम्हार निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
 - 4— दुर्गालाल पिता खाना कुम्हार निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
 - 5— रामचन्द्र पिता खाना कुम्हार निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
 - 6— धन्ना पिता हजारी कुम्हार निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 144 आ०न० 2554 रकबा 0.51 है०, आ०न० 2555 रकबा 0.11 है०, आ०न० 2556 रकबा 0.39 है० कुल कित्ता 03 रकबा 1.01 है० स्थित है। प्रार्थी की पैरा नं० 1 में वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण बावजूद सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां संवत् 2072 से



Q

75 खाता संख्या 144 कुल किता 3 रकबा 1.01 है0 का प्रार्थी खातेदार काशतकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 144 आ0न0 2554 रकबा 0.51 है0, आ0न0 2555 रकबा 0.11 है0, आ0न0 2556 रकबा 0.39 है0 कुल किता 03 रकबा 1.01 है0 प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 400/- (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



d
(के0आर0 खौड़)
आर0आर0एक्ट
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

d
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

d